

मिसिल सं. 21014-2/2010-प्रशा. -II  
भारत सरकार  
कृषि मंत्रालय  
पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्यपालन विभाग

कृषि भवन, नई दिल्ली  
दिनांक: 2010

सेवा में,  
सूची के अनुसार

विषय: पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्यपालन विभाग में बिजली के उपकरणों (हॉटकेश, पंखा, एक्सटेंशन बोर्ड आदि) की वार्षिक मरम्मत संबंधी अनुबंध हेतु।

महोदय,

मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्यपालन विभाग 2010-2011 में हॉटकेश पंखा, एक्सटेंशन बोर्ड, बिजली की कौतली तथा अन्य उपकरणों की वार्षिक मरम्मत (28.6.2010 से 27.6.2011) के लिए तथा सामान को लगाने के लिए निविदाएं आमंत्रित करने का प्रस्ताव है। निविदा भरने के पात्र वही फर्म होगी जो निम्नलिखित शर्तें पूरी करेगी:-

- फर्म के पास विद्युत कार्य करने का वैध लाइसेंस होना चाहिए।
- फर्म को सरकारी कार्यालय में विद्युत उपकरण मरम्मत करने का 3 साल का अनुभव हो।
- फर्म में कार्यरत कम से कम दो कर्मचारी आई.टी.आई या सरकारी मान्यता प्राप्त उपकरणों से बिजली उपकरणों की मरम्मत आदि के संबंध में डिप्लोमा धारी होंना चाहिए।
- फर्म घैट या दिल्लीकर के लिए पंजीकृत होनी चाहिए। बिजली के उपकरणों पर लगने वाले सामान ISI मार्क होने चाहिए। उपकरणों पर लगने वाले सामान व अन्य बिजली के सामान जिसकी यदा कदा आवश्यकता होती है, की सूची संलग्न की गई है, में फर्म सामान की दर और लगाने वाले सामान की दर एक साथ देंगे।

- (क) विद्युत कार्य करने के लाईसेंस की प्रति।
- (ख) विद्युत उपकरणों के मरम्मत के संबंध में सरकारी कार्यालय में 3 वर्ष के अनुभव के पत्र।
- (ग) संस्था में कार्यरत किसी सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से बिजली उपकरणों की मरम्मत व रख-रखाव के संबंध में डिग्री, डिप्लोमा प्राप्त कर्मचारियों की सूची उनके विवरण व प्रमाणपत्रों की प्रति के साथ।
- (घ) 5000/-रुपए की धरोहर धनराशि का डिमांड ड्राफ्ट
- (ङ.) बिक्रीकर या वैट के अधीन पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रति।

द्वारे लिफाफे में उपकरणों के मरम्मत व लगाने वाले सामान की दरें होनी चाहिए। दरों वाला दूसरा लिफाफा उन्हीं फर्मों का खोला जाएगा जो टेक्नीकल बिड की शर्तें पूरी करेंगे। निविदाएं 23.06.2010 को सांय 3.30 बजे कमरा संख्या 436-ए में खोला जाएगी। निविदा खोलते समय आप या आपका प्रतिनिधि मौजूद हो सकता है। कवर के ऊपर यह लिखा होना चाहिए:-

2010-11 के लिए पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्यपालन विभाग में हॉटकेश, पंखों आदि उपकरणों के व्यापक रख-रखाव अनुबंध के लिए निविदा

3. निविदा भरने के लिए नियम/शर्तें निम्नलिखित हैं:-

- क) आपूर्तिकर्ता बिजली के उपकरणों पर लगाने वाला सामान खुद लगाएगा तथा उपकरणों पर लगाने वाले सामान की दर तथा सर्विस चार्ज की दर एक साथ देना होगा।
- ख) बिजली के उपकरणों की मरम्मत के लिए कम से कम दो मैकेनिकों की प्रतिदिन 9.00 बजे से 5.30 बजे तक कार्यालय में उपस्थित रहना होगा।
- ग) ~~कृषि मंत्री/पशुपालन~~ सचिव के आवास कार्यालय में काम करने के लिए जब कभी आवश्यक हो जाना होगा, जिसका आने जाने का व्यय विभाग भुगतान नहीं करेगा तथा आवश्यकता पड़ने पर मैकेनिकों को अवकाश के दिन कार्यालय में कार्य के लिए बुलाया जा सकता है जिसका अलग से भुगतान नहीं किया जाएगा।

घ.) इस विभाग के साथ और/या भारत के राष्ट्रपति की ओर से किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के साथ किसी ठेकेदार द्वारा किए गये करार के तहत यदि इस विभाग का या भारत के राष्ट्रपति की ओर से करार करने वाले ऐसे किसी व्यक्ति का कोई जवाब उक्त ठेकेदार के खिलाफ बनता है तो ठेकेदार को देय का भुगतान की जाने वाली किसी भी धनराशि (प्रति भूति जमा राशि सहित) का विनियोग विभाग या ऐसा व्यक्ति कर सकेगा।

ङ.) यदि इस करार के दौरान ठेकेदार द्वारा किया गया कार्य असंतोषजनक पाया जाता है तो विभाग बिना कोई नोटिस दिए या कारण बताये इस करार को रद्द कर सकता है। इस संबंध में अधोहस्ताक्षरकर्ता का निर्णय अंतिम तथा ठेकेदार के लिए बाध्यकारी होगा।

च.) अधोहस्ताक्षरी किसी भी निविदा को पूर्णतया या आंशिक रूप से बिना कोई कारण बताये निरस्त कर सकता है।

छ.) निविदा के साथ वेतन एवं लेखा अधिकारी, कृषि मंत्रालय, पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्यपालन विभाग के नाम देय रेखांकित डिमांड ड्राफ्ट के रूप में 5000/- रुपए (पांच हजार रुपए मात्र) की धरोहर राशि संलग्न होनी चाहिए। चूंकि स्वीकार नहीं किया जाएगा। धनराशि के बिना प्राप्त निविदा को सरसरी तौर पर निरस्त कर दिया जाएगा और कोई भी ठेकेदार ऐसे निविदा के आधार पर कोई भी प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता है चाहे उसका निविदा में सबसे कम दरें अंकित क्यों न हो। यदि सफल घोषित ठेकेदार आदेश का पालन नहीं करता है या चाहे जिस किसी भी कारण से कार्य प्रारंभ नहीं करता है तो उसकी धरोहर राशि जब्त कर ली जाएगी। सफल निविदाकर्ता को ठेका दिए जाने के बाद ऐसे किसी फर्म की धरोहर राशि को जिसकी निविदा को स्वीकार नहीं किया हो, लौटा दी जाएगी।

ज.) ऐसे निविदाकर्ता को जिसकी निविदा अन्ततः स्वीकार कर ली जाती है अवर सचिव, भारत सरकार, पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्यपालन विभाग, नई दिल्ली के पक्ष में सुरक्षा निधि के रूप में गिरवी रखते हुए फिक्सड डिफजिट अकाउन्ट या राष्ट्रीयकृत बैंक में 5000/- रुपए (केवल पांच हजार रुपए) की राशि जमा करानी होगी। सफल ठेकेदार को उसकी सुरक्षा राशि के रूप में राष्ट्रीयकृत बैंक में 5000/- रुपए जमा कराने के पश्चात् 5000/- रुपए (केवल पांच हजार रुपए) की धरोहर राशि वापस कर दी जाएगी।

i) बिल का मुहरबंद करने वाले दिए गए कार्य की प्रतियाँ - अनुसूचित जातों के लिए जारी की जाएगी। बिल के साथ किए गए कार्य की प्रतियाँ जो अधिकारियों/अनुभागों से इस्ताफर मुहर के साथ लगी होनी चाहिए।

ii) अनुरोध है कि निविदा भरने से पहले आप ऊपर दिए गए पैरों में उल्लिखित करार की शर्तों को पढ़ ले तथा समझ लें क्योंकि यदि आपकी निविदा विभाग द्वारा स्वीकार कर ली जाती है तो उपर्युक्त शर्तों के उल्लंघन की अनुमति नहीं होगी।

4. यदि आप उक्त कार्य को सम्पादित करने के इच्छुक हैं और आपके पास विद्युत कार्य करने के लिए वैध लाइसेंस है तथा कार्य को करने की क्षमता है तो आप संलग्न प्रपत्र में अपना निम्नतम कोटेशन मुहरबंद कवर में अवर सचिव (सा.प्र.), पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्यपालन विभाग को 23.06.2010 को प्रातः 11.00 बजे तक प्रस्तुत कर सकते हैं। मुहरबंद निविदाएं कमरा सं. 436-ए, चौथी मंजिल में रखे निविदा पेटिका में डाल सकते हैं।

भवदीय,



(एन.आई.सी. खात्री)

अवर सचिव (भारत सरकार)

प्रति:

एन.आई.सी. विभाग की वेबसाइट पर डालने हेतु।

पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग में हॉटकेश, पंख्यों, बिजली की केतली तथा विजली के उपकरणों में लगाने वाले सामान की दर सूची (सामान लगाने वाले की दर सहित)

क्र.	सं.	सामान का नाम	दर (साफ अंकों तथा शब्दों में)
		ISI MARK	
1.		प्लग (15 एएमपी)	.....
2.		प्लग (5 एएमपी)	.....
3.		स्विच (15 एएमपी)	.....
4.		स्विच (5 एएमपी)	.....
5.		सौकिट (15 एएमपी)	.....
6.		सौकिट (5 एएमपी)	.....
7.		कॉलबेल स्विच	.....
8.		हैंगिंग कॉलबेल स्विच	.....
9.		कॉलबेल (डिग डोग)	.....
10.		कॉलबेल (साधारण)	.....
11.		कॉलबेल (रिमोट)	.....
12.		तार प्रति मीटर (23/76) 3 कोर	.....
13.		तार प्रति मीटर (40/76) 3 कोर	.....
14.		गोल हीटर रैलिमेंट	.....
15.		गोल हीटर प्लेट नं० 215 एएमएम	.....
16.		गोल हीटर प्लेट नं० 210 एएमएम	.....
17.		गोल हीटर पिन	.....

पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्यपालन विभाग में हॉटकेश, पंखों, बिजली की केतली आदि के व्यापक रख-रखाव के लिए निविदा।

1. फर्म का नाम .....
2. पता .....
3. दूरभाष .....
4. ड्राफ्ट की राशि .....
5. बैंक ड्राफ्ट संख्या .....तारीख.....
6. बैंक का नाम .....

7. हॉटकेश, पंखों, बिजली की केतली के रख-रखाव का अनुभव  
(कृपया दस्तावेज संबंधी साक्ष्य प्रस्तुत करें)

मदों की सूची संलग्न है उस पर ही अपनी दरें अंकित करें।

मैं/हम एतद्वारा घोषणा करते हैं और इसकी पुष्टि करते हैं कि मैं/हमने टेके की शर्तों को पढ़ लिया है और समझ लिया है, जैसा कि दिनांक..... की निविदा सूचना में दिया गया है

मैं/हम वचनबद्ध हूं/हैं कि हॉटकेश, पंखे, बिजली की केतली आदि तथा सरकार की किसी भी सम्पत्ति को उपेक्षा के कारण या अन्यथा रूप से होने वाली हानि/क्षति की भरपाई करेंगे।

मैं/हम यह भी वादा करते हैं कि हम इस मामले में पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्यपालन विभाग का निर्णय अंतिम और हमारे लिए बाध्यकारी होगा। मैं/हम यह भी प्रतिबद्धता व्यक्त करते हैं कि हम विभाग के निर्णय के खिलाफ कोई भी अभ्यावेदन नहीं देंगे।

हस्ताक्षर.....

नाम .....

(स्पष्ट शब्दों में)

18. इंगेजमेंट लाइट (फैंसी) .....
19. फैंसी ट्यूबलाइट फिटिंग सहित (फिलिप्स) .....
20. फैंसी ट्यूबलाइट (फिलिप्स) .....
21. बिजली की केतली का ऐलिमेंट (1000 वाट) .....
22. बिजली की केतली का ऐलिमेंट (1500 वाट) .....
23. बिजली की केतली का कनेक्टर .....
24. गोल हीटर का कनेक्टर .....
25. हीटर रॉड .....
26. हीटर रिफ्लेक्टर .....
27. हीटर रॉड क्लिप .....
28. चीनी वार्सल .....
29. हीट कन्वेक्टर मोटर .....
30. हीट कन्वेक्टर एलिमेंट .....
31. हीट कन्वेक्टर थर्मोस्टेट .....
32. हीट कन्वेक्टर ब्लोयर .....
33. हीट कन्वेक्टर स्विच .....
34. हॉटकेश एलिमेंट .....
35. हॉटकेश थर्मोस्टेट .....

36. हॉटकैश नाँव .....
37. फैन मोटर रिपेयर (वाल फैन, टेबल फैन, .....  
एक्जॉस्ट फैन तथा पेडेस्टल फैन)
38. फैन मोटर रिप्लेसमेंट (वाल फैन, टेबल फैन, .....  
एक्जॉस्ट फैन तथा पेडेस्टल फैन)
39. फैन रेगुलेटर /स्विच .....
40. फैन ब्लेड .....
41. फैन कंडसर .....
42. फैन जाल .....
43. नया एक्सटेंसन बोर्ड (दो पावर प्वाइंट दो .....  
लाइट प्वाइंट प्लग, इंडिकेटर, फ्यूज, तथा 6  
मीटर तार लगी होनी चाहिए, सभी  
आईएसआई मार्क होने चाहिए।
44. चैनल (बीडिंग) 2 इंच .....
45. चैनल (बीडिंग) 3 इंच .....
46. पंखों की (सभी प्रकार के) सफाई व .....  
आयलिंग
47. हीट कन्वेक्टर की सफाई व आयलिंग .....
48. ऐमरजेन्सी लाइट की बैटरी .....
49. ऐमरजेन्सी लाइट की ट्यूब .....

50. ऐमरजेसी लाइट की अन्य मरम्मत .....
51. बिजली की कंठली का हैंडल .....
52. साधारण ट्यूबलाइट फिटिंग सहित .....
53. ट्यूबलाइट (प्रति) .....
54. स्पोटन बल्ब (60 वॉट) .....
55. स्पोटन बल्ब (100 वाट) .....
56. लाल/हरे बल्ब (0 वाट) .....
57. बल्क (80 वाट) .....
58. फिलिप्स के सीएफएल बल्ब (18 वाट) (तीन  
ट्यूब वाले, चूड़ी सहित) .....
59. फिलिप्स/ओसराम के सीएफएल ट्यूब 22  
वाट (डेड फुट यू सोफ 4 पिन वाली) .....

हस्ताक्षर .....

नाम .....

(स्पष्ट शब्दों में)